प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या– ....

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग–2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या..............................

7– परियोजना/स्कीम का स्थान – सिलगी से सैंज मोटर मार्ग

(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र – उत्तराखण्ड

(2) जिला – चमोली

(3) वन प्रभाग – बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

(4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है0) – 0.400 ha

(5) वन की कानूनी स्थिति – आरक्षित वन भूमि

(6) हरियाली घनत्व – 0.3 (V)

(7) जातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध मे एफ0आर0एल0– 2 मी0 पर परिगणना और एफ0आर0एल0 –4 मी0 भी संलग्न किये जायें। – प्रस्ताव में संलग्न

(8) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी

(9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कॉरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय) – नहीं

(10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें। – नहीं

(11) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें। – नहीं

(8) प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग–1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। – प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम है.

(9) क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। – नहीं

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा–

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आरक्षित के वन से इसकी दूरी भू खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार – लागू नहीं

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। — लागू नहीं

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। — लागू नहीं

iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। — रिक्त पड़े जगह पर वृक्षारोपण

iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। — प्रस्ताव में संलग्न

v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। — लागू नहीं

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशषता उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) — प्रस्ताव में संलग्न

12 प्रभाग/जिला प्रोफाइल
जिला का भौगोलिक क्षेत्र। — 803000 ha

i जिला का वन क्षेत्र। — 514792 ha

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। — 3091.98 ha

iii 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण — 5739.80 ha

(क) दण्ड के रूप मे प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर
31/12/16 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर — 4250.96 ha

(ख) वनेत्तर भूमि पर — 132.71 ha

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक 18/09/18

स्थान..................

हस्ताक्षर

नाम (एन. एस. पाण्डेय)

सरकारी मोहर प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।